हमारे सवालों का उत्तर कौन देगा?

कैनेडियनों के लिए इसका क्या अर्थ है? हम किस तरह का कैनेडा चाहते हैं? अगर हम चुनावी कवरेज को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कैनेडा सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। आम लोगों के उन सवालों पर हमारी फैडरल पार्टियों के नेता कोई बहस ही नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। एक नए कानून के चलते काफी कुछ मूल तौर पर ही बदल जाएगा और हमें इन सवालों का उत्तर चाहिए।

बिल सी-24, इस साल के शुरू में ही लागू हो गया और इसने विदेशों में जन्में लाखों कैनेडियों या जिनके मां-बाप विदेश में जन्में हैं, को दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया है।

जिस प्रकार से ये कानून लिखा गया है, उसके अनुसार जो कोई भी नई सिटीजनशिप लेता है, अब अगर काम, पढ़ाई या परिवारिक कारण से देश से बाहर जाता है तो वह सिटीजनशिप खो देगा। विदेश में अपने बीमार मां-बाप की देखभाल या किसी से विवाह के लिए दूसरे देश जाना या किसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना अब कानूनी तौर पर खतरे की बात हो गई है और आपकी नागरिकता छिन सकती है।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नए कैनेडियनों को ये वादा करना होगा कि वे कैनेडा में ही रहने को मजबूर होंगे। अगर वे देश से बाहर गए तो ये मान लिया जाएगा कि आप ने वादा तोड़ा है और नागरिक बनने के समय आपने झूठ बोला था। अब, एक युवा कैनेडियन, जिसका परिवार कैनेडा के लिए नया है और उसे अब हॉवर्ड में अपनी फुल स्कॉलरशिप को प्राप्त करने से पहले भी दो बार सोचना होगा क्योंकि ऐसा करने पर उसका कैनेडियन पासपोर्ट खतरे में आ सकता है। पर, कैनेडा में जन्में उसके प्रतिद्वंदी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर पैदा होने वाले आराम से बाहर आ-जा सकते हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उनकी इस नए कानून के अनुसार नए कैनेडियनों को दंडित करने की कोई इच्छा नहीं है, पर उन्होंने बिल से इन धाराओं को हटाने से भी इंकार कर दिया है। बल्कि उन्होंने जानबूझकर सिटीजनशिप को लेकर इस प्रकार की दोहरी प्रक्रिया को तैयार किया है।

इतना ही नहीं, इस नए कानून से नए कैनेडियनों और उनके परिवारों को भी दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फैडरल सरकार ने ये फैसला किया है कि ऐसे मामलों में जिन में लोगों को पास एक अन्य पासपोर्ट भी है या वे ऐसा करने के लिए पात्र हैं, उनकी सिटीजनशिप वापिस ली जा सकती है, फिर चाहे वे कैनेडा में पैदा हुए या ना हों।

बहुत सारे कैनेडियन इसी देश में पैदा हुए और पले बढ़े हैं और पर उन्हें अपने मां–बाप, दादा–दादी और पति–पत्नी के माध्यम से विदेशी नागरिकता लेने का अधिकार है और वे अपने पैतृक देश में वापस लौटने का अधिकार रखते हैं, अब अचानक ही खतरे में आ गए हैं। अब कुछ कैनेडियनों को अन्यों के मुकाबले कम अधिकार हैं क्योंकि वे या उनका परिवार कहीं और से हैं। नए कानून के तहत कैनेडा में कुछ गंभीर अपराध करने वाले या विदेश में ऐसे अपराध की सजा पाने वाले, इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनमें अदालती प्रक्रिया पर सवाल हैं, भी अपनी नागरिकता खो सकते हैं। तानाशाही वाले देशों में अक्सर मानवाधिकारवादियों और पत्रकारों को आतंकवादी करार देकर सजाएं दे दी जाती हैं। अब कैनेडियन कानून भी ऐसे लोगों को कैनेडियन सिटीजनशिप छीन कर सजा दे सकता है।

पर, जिन मामलों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने जानबूझ कर कुछ गलत किया है, उनके बारे में बिल सी–24 में कुछ अधिक सख्ती नहीं की गई है। कुछ जगह तो खतरनाक ढंग से पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसे लोग जो कि खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके साथ क्रिमिनल जसिस्ट सिस्टम ही निपटेगा और उन्हें समाज से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे खतरों को कम करने के लिए हम अपनी समस्याओं को दूसरे देशों पर डाल देंगे। ऐसे खतरनाक अपराधियों को ऐसे देशों में भेज दिया जाएगा, जो कि कैनेडा से अलग हैं और वहां पर कानून नियम का पालन भी कम होता है। इससे हम अधिक सुरक्षित होंगे, ऐसा माना गया है।

इस प्रकार के प्रावधानों से ये नए बिल कैनेडा में साफ तौर पर दिखने वाले अल्पसंख्यकों को स्पष्ट तौर पर प्रभावित करेगा जो कि एक या दो पीढ़ी पहले बड़ी संख्या में कैनेडा आए थे। कैनेडियनों के साथ असमान व्यवहार करने वाला ये नया कानून भेदभाव से परिपूर्ण है और ये चार्टर का भी खुला उल्लंघन है। बीसी सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन और कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ रिफ्यूजी लॉयर्स ने इस बिल को संवैधिानिक तौर पर चुनौती प्रदान की है क्योंकि इससे मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है जो कि चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के माध्यम से हमें प्रदान किए गए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि कुछ कैनेडियनों को दूसरे दर्जे का मानना मूल तौर पर ही गलत है।

इस बिल के कई अन्य हिस्सों से भी कई नई समस्याएं पैदा होंगी, पर उनको अदालतों में चुनौती देने के लिए हमारे पास काफी सीमित संसाधन हैं। कैनेडा हमेशा से ही प्रवासियों का देश रहा है। बिल सी–24 इसे प्रवासियों के लिए सिटीजनशिप प्राप्त करना और भी मुश्किल बना देगा और इसमें काफी अधिक समय भी लगने लगेगा। इसमें खर्च भी काफी आएगा और इससे बड़ी उम्र के

और युवा प्रवासियों का भेद भी आ जाएगा और अपील की संभावना भी खत्म कर दी जाएगी। कैनेडा में एक स्टूडेंट, अस्थाई वर्कर, लिव इन केयरगिवर या रिफ्यूजी के तौर पर बिताया गया समय अब सिटीजनशिप के लिए आधार नहीं माना जाएगा। आवेदन फीस भी तीनगुणा हो जाएगी। इसके साथ ही एक खर्चीली भाषा जांच प्रक्रिया भी 14 साल के युवा और 64 साल से अधिक उम्र के प्रवासियों के लिए जरूरी होगी। इससे पहले ये सिर्फ 18 से 55 साल के लिए जरूरी थी और उन्हें ये टेस्ट देना पड़ता है।

बढ़ते खर्च और युवा एवं बुजुर्गों के लिए नई बाधाएं और अपील की संभावना को समाप्त कर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कैनेडा इस समय विश्व में नए प्रवासियों को सर्वाधिक रोजगार दर और शानदार इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है पर बिल सी-24 सब कुछ बदल देगा।

प्रवासियों ने हमारा देश बनाया है और हमें उनका स्वागत जारी रखना चाहिए। हमारा मानना है कि हम सभी को एक समान कानूनों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। हमारी चमड़ी के रंग या किस परिवार से या किस देश से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बिल सी-24 के माध्यम से सरकार लाखों कैनेडियनों को बता रही है कि वे अन्यों से कुछ कम कैनेडियन हैं। उन्होंने कैनेडा का निर्माण किया है और इसे अपना घर बनाया है लेकिन उन्हें यहां से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है।

ये गलत है और ये हम सब को तोड़ देगा। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम ऐसे कैनेडा के लिए संघर्ष कर रहे हैं जैसा कैनेडा हमें चाहिए और जैसा कैनेडा होना चाहिए। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हर कैनेडियन को एक समान कानून के अनुसार समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

जॉश पेटरसन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बीसी सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन
मिचेल गोल्डबर्ग, प्रेसिडेंट, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ रिफ्यूजी लॉयर्स